

क्रमांक: एफ.4()पौ.सं./तक-II/दर अनु./2021-22/ 32932-33

दिनांक : 31.01.2022


आदेश

कृषि आदानों की आपूर्ति हेतु दर संविदा करने के लिए विभाग द्वारा जारी निविदा संख्या 10992 दिनांक 28.07.2021 के संदर्भ में मैसर्स उज्जवला केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स, नोहर, जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित उत्पादों की न्यूनतम (एल-1) दरों को स्वीकृत करते हुए फर्म को पत्र क्रमांक 16910-921 दिनांक 30.09.2021 एवं 23883-895 दिनांक 24.11.2021 के द्वारा अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने तथा कार्य निष्पादन प्रतिभूति (PSD) जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया।

S.No.	Name of Products	Packing Size	Approved L-1 Rates (Rs.) (Including all taxes)
1	Vermi Compost	50 Kg	288.00
2	Vermi Compost	25 Kg	149.00
3	Bio-Fertilizer -Azotobactor (Powdered Form)	200 gram	5.75
4	Potassium Mobilizing Biofertilizer (KMB) Liquid CFU minimum 1x10 ⁸ per ml	250 ml	17.90
5	Ferrous Sulphate 19%	25 Kg	334.00
6	Copper Sulphate 24 %	5 kg	710.00
7	Copper Sulphate 24 %	10 kg	1400.00
8	City Compost	50 Kg	230.00
9	PROM	50 Kg	558.00
10	PROM	25 Kg	293.00
11	Organic Mannure	25 kg	142.00
12	Bio-Fertilizer - Rhizobium (Liquid Form) CFU minimum 1x10 ⁸ per ml	250 ml	17.90
13	Bio-Fertilizer -Azotobactor (Liquid Form) CFU minimum 1x10 ⁸ per ml	250 ml	17.81
14	Bio-Fertilizer - P.S.B(Powdered Form)	250 gram	5.90
15	Bio-Fertilizer - P.S.B(Powdered Form)	200 gram	5.70
16	Potassium Mobilizing Biofertilizer (KMB)	200 gram	5.70
17	Zinc Solublizing Biofertilizer (ZSB)	200 gram	7.20
18	Mycorrhiza	1 Kg.	28.85
19	Ferrous Sulphate 19%	10 Kg	135.00
20	Magnesium Sulphate 9.6%	5 kg	85.00

निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं करने के फलस्वरूप फर्म को पत्र क्रमांक 18611 दिनांक 18.10.2021, 21965 दिनांक 11.11.2021 एवं 25338 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा RTPP Act. 2012 धारा 46 (5) के तहत नोटिस जारी किया गया है। परन्तु नोटिस जारी किये जाने के बाद भी फर्म द्वारा अनुबंध पत्र एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत न कर RTPP Rule 2013 के नियम 76 (3) की अवहेलना की है।


अतः फर्म मैसर्स उज्जवला केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स, नोहर, जिला हनुमानगढ़ को RTPP Act. 2012 धारा 46 (4) के तहत विभाग की निविदाओं में आगामी तीन वर्ष तक भाग लेने हेतु विवर्जित करते हुए प्रस्तुत बिड सिक्यूरिटी डिक्लेरिशन को जब्त किया जाता है। उक्त जब्ती के फलस्वरूप फर्म को बिड सिक्यूरिटी की राशि रु 15,50,000 (अक्षरे राशि पन्द्रह लाख पचास हजार रु मात्र) 15 दिवस में जमा कराने हेतु निर्देशित किया जाता है।


(डॉ ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक: एफ.4()पौ.सं./तक-II/दर अनु./2021-22/ **32932-33**
प्रतिलिपि प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : **31.01.2022**

1. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को भेजकर अनुरोध है कि <http://sppp.raj.nic.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in>, एवं विभागीय वेबसाईट <http://krishi.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
2. मैसर्स उज्जवला केमिकल एण्ड फर्टिलाईजर्स, नोहर, जिला हनुमानगढ़ को प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी डिक्लेरेशन (Bid Security Declaration) जर्बती के फलस्वरूप राशि रू 15,50,000 (अक्षरे राशि पन्द्रह लाख पचास हजार रू मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त कृषि जयपुर के पक्ष में देय 15 दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।



(डॉ. सुवा लाल जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (पौ.सं.)
कृषि आयुक्तालय, राज., जयपुर